UPMZ010030342023

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Shri Kamla Pati-I), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06168

विशेष वाद सं0–650/2023

उ0प्र0 राज्य बनाम धर्मेन्द्र

मुकदमा अपराध सं0–782/2020,
धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम,
थाना–एंटी पावर थैफ्ट, जिला–मुजफ्फरनगर।

29.05.2023

निस्तारण प्रार्थना–पत्र–12क

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत मामले में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र 12क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह, निवासी–ग्राम जैतपुर, थाना–तितावी, जिला–मुजफ्फरनगर द्वारा शमन–शुल्क जमा कर दिया है। वाद उपरोक्त का निस्तारण करने की याचना की गयी है।

विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता श्री जगमोहन दास द्वारा शमन–पत्र को सत्यापित किया गया है।

कार्यालय, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड–बुढाना, मुजफ्फरनगर द्वारा जारी शमन–पत्र सं0–1073 दिनांकित 14–03–2022 की प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अनुसार विद्युत चोरी/अनियमितता/दुष्प्रेरण से संबंधित अपराध हेतु भारतीय विद्युत अधिनियम–2003, धारा–135/138 के अंतर्गत अपराध के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट के अन्तर्गत विभागीय/प्रवर्तन दल अधिकारी द्वारा उपरोक्त चैकिंग के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट आपके थाने पर पंजीकृत करायी गई थी। उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0 के अधिकृत अधिकारी के रूप में प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह, निवासी–ग्राम जैतपुर, तह0–बुढाना, जिला–मुजफ्फरनगर से शमन धनराशि प्राप्त करके भारतीय विद्युत अधि0–2003 की धारा–152 व विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 के नियम–81 के अंतर्गत मामला शमन कर लिया गया है। शमन धनराशि अंकन रू0 2,000/– रसीद सं0–341319140322040400001 दिनांक 14.03.2022 तथा राजस्व निर्धारण (रू0 3,060) की धनराशि मय बकाया रू0 14,992/– रसीद सं0–pvvnl20210331125611225777 दिनांक 31.03.2021 द्वारा प्राप्त कर ली गयी है। उक्त शमन पत्र के अनुसार, शमन के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह, निवासी–ग्राम जैतपुर, तह0–बुढाना, जिला–मुजफ्फरनगर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अपराध को समाप्त कर, मामले को धारा–152(3) विद्युत अधिनियम के अनुसार दं०प्र०स० की धारा–300 के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रभारी उपकेन्द्र भौराकलां, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 07.02.2020 को चैकिंग के दौरान धर्मेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह, निवासी–ग्राम जैतपुर को अपने स्वीकृत विद्युत संयोजन, जो पूर्व में बकाया के आधार पर कटा हुआ था, को जोडकर, अवैध रूप/चोरी से विद्युत का प्रयोग करते हुए पाया गया। इसी निरीक्षण के आधार पर वादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध सम्बन्धित थाना –एंटी पावर थैफ्ट पर तहरीर प्रस्तुत की गयी, जिसके आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम के

अन्तर्गत एफ०आई०आर० दर्ज की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-बुढाना, मुजफ्फरनगर में दिनांक 14.03.2022 को शमन धनराशि अंकन रू0 2,000/- तथा दिनांक 31.03.2021 को राजस्व निर्धारण (रू0 3,060) की धनराशि मय बकाया रू0 14,992/- जमा की गयी, जिसके आधार पर अभियुक्त को शमन प्रमाण-पत्र दिया गया।

धारा-152(2) विद्युत अधिनियम में उपबन्ध किया गया है कि किसी अपराध का प्रशमन करने के लिए समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमानुसार समस्त धनराशि स्वीकार कर लिया गया है तो सम्बन्धित अभियुक्त के विरूद्ध दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जायेगी।

अतः वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि अभियुक्त द्वारा शमन एवं निर्धारण धनराशि जमा कर, शमन प्रमाण-पत्र पाप्त कर लिया गया है। इसलिए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार वाद सं०-650/2023, 'सरकार बनाम धर्मेन्द्र', धारा-138(1)(b) विद्युत अधिनियम, थाना-एंटी पावर थैफ्ट, जिला-मुजफ्फरनगर के मामले में दाखिल प्रार्थना-पत्र-12क स्वीकार किये जाने योग्य है। विद्युत अधिनियम की धारा-152(3) के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र को धारा-138(1)(b) विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना-पत्र-12क स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त धर्मेन्द्र को धारा-152(3) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रशमन होने पर धारा-138(1)(b) विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वाद सं०-650/2023, 'सरकार बनाम धर्मेन्द्र', धारा-138(1)(b) विद्युत अधिनियम, थाना-एंटी पावर थैफ्ट, जिला-मुजफ्फरनगर शमन प्रमाण-पत्र के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कमलापति-।)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-4,
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 29-05-2023

Digitally signed by Kamla Pati Pal
Date: 2023.06.02 17:20:58 IST
Reason: Order
Location: Addl. District and Sessions Court No.4, Mzn